

उदयपुर : जंगल की आग में घिरे मध्य प्रदेश के पर्यटक की अस्पताल में मौत

बताया गया है कि पर्यटक माखन सिंह सोमवार रात अकेले ही पहाड़ी पर घूमने गया था

उदयपुर, (कासं)। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित बड़ी झील पर बाहुबली हिल क्षेत्र में भीषण जंगल की आग में फंसे पर्यटक को सोमवार रात को रेस्क्यू किया गया था। मंगलवार सुबह उसकी एमबी अस्पताल में मौत हो गई। मृतक की पहचान मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रहने वाले माखन सिंह (33) के रूप में हुई है। बाहुबली हिल क्षेत्र का 3 हेक्टेयर घना जंगल अग से जलकर राख हो गया है।

बताया गया कि माखन सिंह सोमवार रात अकेले ही पहाड़ी पर घूमने चला गया। जंगल में आग में फंसे गया। माखन सिंह ने 100 नंबर पर कॉल कर मदद मांगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों मौके पर पहुंची। रेस्क्यू कर्मियों

■ **हादसे के बाद पर्यटक माखन सिंह ने 100 नंबर पर कॉल कर मदद मांगी, सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमों मौके पर पहुंची तो मौके पर युवक बेहोशी की हालत में मिला**

के अनुसार युवक धुएँ के बीच झाड़ियों में बेहोशी की हालत में मिला। उसे तुरंत उदयपुर के एमबी अस्पताल लाया गया, जहाँ मंगलवार सुबह करीब सात बजे उसकी मौत हो गई। माखन सिंह रतलाम जिले की जागर तहसील के ऊपरवाडा गांव का रहने वाला था।

गांव के सरपंच कमलेश पाटीदार ने बताया कि माखन घर से घूमने के लिए ही बोलकर निकला था। वह हार्वेस्टर शोरूम में मैनेजर था। उसके तीन बच्चे हैं।

एमबी अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आर.एल. सुमन ने बताया कि प्रारंभिक रूप से मौत का कारण आग के धुएँ से दम घुटना माना जा रहा है, हालांकि वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फायर ब्रिगेड अधिकारी बी.एल. चौधरी ने बताया कि आग बहुत तेजी से फैल गई थी जिसके कारण पूरी पहाड़ी काले धुएँ से ढक गई थी।

दमकल की टीमों ने देर रात तक कड़ी मशकत के बाद आग

पर काबू पाया। हालांकि एहतियात के तौर पर रातभर फायर ब्रिगेड की टीमों जंगल क्षेत्र के आसपास तैनात रही।

जानकारी के अनुसार बाहुबली हिल्स बड़ी लेक के पास स्थित जंगल परिया है। इस पहाड़ी पर टूरिस्ट ट्रैकिंग के लिए आते हैं। बीते कुछ समय में ये पूरा परिया प्री वेडिंग फोटो शूट के लिए भी पॉपुलर हुआ है। फरिस्ट अधिकारियों के अनुसार यहाँ के जंगल में कई दुर्लभ वनस्पति भी मिलती हैं। आग के कारण इन्हें भी नुकसान पहुंचा है।

उल्लेखनीय है कि इस सीजन में पहाड़ियों पर अब तक करीब पांच जगह आग लगी है। 15 दिन पहले नीमचमाता स्थित पहाड़ी पर आग लगी थी। सप्ताहभर पहले ऋषभदेव

की पहाड़ी पर आग लगी थी। तीन दिन पहले चित्रकूट नगर और दो दिन पहले बड़ी गांव स्थित पांडवा की पहाड़ी पर आग लगी थी।

मुख्य अतिरिक्त अधिकारी बाबूलाल चौधरी ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि वर्तमान में कई स्थानों पर आगजनी की घटना घटित हो रही है ऐसी आपात स्थिति में बिना संसाधन के आग में प्रवेश नहीं करें। आग लगने की सूचना तुरंत शहर प्रशासन, नजदीकी पुलिस स्टेशन, पर देवें जिससे आग को काबू में किया जा सके। आग जलने से वातावरण में चारों तरफ दम घुट गैस कार्बन डाइ ऑक्साइड बनती है, जिससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है एवं जानमाल की नुकसान होने की संभावना रहती है।

ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर महिला ने आत्महत्या की

पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया

सादुलपुर, (निर्सं)। राजगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला को अश्लील वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर पैसों की मांग करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने पर महिला की ओर से आत्महत्या करने का मामला सामने आया है।पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरणा का मामला दर्ज किया है।

थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि पीड़िता के पति ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि उसकी पत्नी ने 28 नवंबर 2025 को विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की थी। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों और परिवार से मिली जानकारी के आधार पर अब मामला दर्ज कराया गया है। दर्ज मामले में बताया कि करीब एक वर्ष पहले उसकी पत्नी बीमार होने

पर एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुई थी। उसी दौरान अस्पताल में कार्यरत आरोपी संदीप उसकी पत्नी को दवाई देता था, जिससे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। आरोप है कि संदीप कुमार ने बाद में उसकी पत्नी से शारीरिक संबंध बनाकर उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद संदीप कुमार के साथ रोहाशा और वीडियो भी इस मामले में शामिल हो गए। तीनों आरोपियों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसकी पत्नी से पैसों की मांग शुरू कर दी। आरोप है कि पिछले करीब छह महीने से तीनों उसे लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे।

दर्ज मामले में बताया कि उसकी पत्नी ने दुकान की आमदनी से नगद व खाले के माध्यम से आरोपियों को पैसे दिए। यहां तक कि उसने अपने सोने के गहने बेचकर भी करीब 7 से 8 लाख

रुपये आरोपियों को दे दिए, लेकिन इसके बाद भी वे लगातार और पैसों की मांग करते रहे। इससे उसकी पत्नी मानसिक रूप से परेशान रहने लगी थी। बताया गया कि 28 नवंबर 2025 को आरोपियों ने फोन कर दो दिन में दो लाख रुपये देने की मांग की और नहीं देने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इसी से भयभीत होकर उसकी पत्नी ने घर में जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी पत्नी की मौत हो गई। दर्ज मामले में बताया कि जांच के दौरान मोबाइल की जांच करने पर यह जानकारी मिलने पर परिजनों ने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। राजगढ़ थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

खेत में अज्ञात युवक का शव मिला

सादुलपुर, (निर्सं)। सिद्धमुख थाने के गांव चैनपुर छोटा की रोही में सोमवार को एक अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। धर्मवीर लाटर के खेत में पड़े शव को लेकर घटना की जानकारी ग्रामीणों को उस समय मिली, जब खेतों में लोग चने की फसल की कटाई कर रहे थे। शव मिलने के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

■ **युवक की मौत गर्मी और प्यास से होने की संभावना जताई जा रही है**

सिद्धमुख थानाधिकारी इमरान खान ने बताया कि शव को राजकीय उप जिला अस्पताल राजगढ़ की मोर्चरी में रखवाया गया है। प्रारंभिक जांच में युवक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं संभवतः युवक की मौत गर्मी और प्यास से होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। हालांकि मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। सिद्धमुख थाना पुलिस ने आसपास के गांवों में मृतक की पहचान के प्रयास शुरू कर

युवक ने आत्महत्या की

निवाड़ी, (निर्सं)। शिवाजी कॉलोनी की गली नंबर 14 में एक 17 वर्षीय युवक ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस के एएसआई कमलेश गुर्जर व भारती मीणा मय जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को फंदे से उतारकर राजकीय उप जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया।

एएसआई कमलेश गुर्जर ने बताया कि सोमवार की शाम करीब 7:30 बजे दीपक वर्मा पुत्र कान्हा रैगर निवासी गली नंबर 14 वार्ड नंबर 32 शिवाजी कॉलोनी ने फंदे से झूलकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक अपने बुजुर्ग दिव्यांग चाचा के साथ रहता था। उसकी मां मजदूरी कर जीवन-यापन करती है। करीब तीन वर्ष पूर्व मृतक के पिता ने भी आत्महत्या कर ली थी।

अनियंत्रित ट्रैलर खाई में गिरा

उदयपुर, (कासं)। मंगलवार को उदयपुर-पिंडवाड़ा नेशनल हाइवे-27 पर पत्थर के पाउडर से भरा ट्रैलर 60 फीट गहरी खाई में गिर गया। घटना स्थल से गुजर रहे लोगों में अफर-तफरी मच गई। कुछ लोग खाई के अंदर उतरे। केबिन में ट्रैलर ड्राइवर और खलासी को फंसा देखकर पुलिस को बुलाया। इसके बाद पुलिस टीम ने बड़ी मशकत से दोनों को बाहर निकालकर हॉस्पिटल पहुंचाया।

जानकारी के अनुसार पत्थर के पाउडर से भरा ट्रैलर सुबह करीब दस बजे उदयपुर से पिंडवाड़ा की तरफ जा रहा था। रास्ते में अनियंत्रित होकर खोखरिया नाल सुरंग के पास गहरी खाई में गिर गया। मौके से गुजर रहे वाहन और ग्रामीण एकत्रित हो गए। बेकरिया थानाधिकारी उत्तम सिंह और हाइवे पेट्रोलिंग टीम के भगवत सिंह झाला मौके पर पहुंचे। टीम ने खाई में उतरकर केबिन में फंसे ड्राइवर और खलासी को बाहर निकाला। दोनों घायल झालावाड़ जिले के भवानीमंडी निवासी आत्माराम पुत्र प्रभुलाल और राजेश पुत्र भागचंद को एंबुलेंस के जरिए गोगुंदा हॉस्पिटल ले जाया गया।

नौकरी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

नोखा, (निर्सं)। थाने में एक महिला ने नौकरी का झांसा देकर दुष्कर्म करने, अश्लील फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में नोखा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।

पीड़िता ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वह पिछले दो साल से एक निजी अस्पताल में काम करती थी। इस दौरान दवाईयों के प्रचार-प्रसार का काम करने वाला एक युवक अक्सर अस्पताल में आता-जाता था। उसने पहचान बढ़ाई और उसे बीकानेर के किसी बड़े अस्पताल में अच्छी सैलरी पर नौकरी दिलाने का झांसा दिया। उसने पीड़िता के शैक्षणिक दस्तावेज और अन्य कागजात भी ले लिए। पीड़िता ने बताया कि 17 नवंबर 2025 को आरोपी उसे अपने साथ बीकानेर ले गया। वहां एक होटल में इंटरव्यू होने का बहाना बनाकर उसे नशीला पेय पदार्थ पिला दिया। बेहोशी की हालत का फायदा उठाकर आरोपी ने उसे साथ दुष्कर्म किया और

मोबाइल से अश्लील फोटो-वीडियो भी बना लिए। आरोपी ने इन फोटो-वीडियो को वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर उसे कई बार अपने साथ बीकानेर ले जाकर दुष्कर्म किया।

रिपोर्ट में बताया कि 12 जनवरी 2026 को आरोपी उसे फिर नशीला पदार्थ पिलाकर जयपुर ले गया। वहां उसने धमकी देकर कुछ कागजातों पर जबरन साइन भी करवा लिए और खुद को उसका पति बताने लगा। इसके बाद वह उसे अपने घर ले गया, जहां उसे एक बंद कमरे में रखकर मारपीट, गाली-गलौच करता और जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। पीड़िता ने बताया कि 7 मार्च को वह किसी तरह युवक के घर से निकलकर अपने पिता के घर पहुंची। उसने अपने पिता और भाई को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद नोखा थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर विधि सम्मत धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विवाहिता की मौत, आरोपी पति दहेज हत्या में गिरफ्तार

विवाहिता की गत महिने संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी

जोधपुर, (कासं)। शहर के भदवासिया स्थित 80 फीट रोड पर रहने वाली एक विवाहिता की गत महिने संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। पीहर पक्ष ने दहेज हत्या में केस दर्ज करवाया था। प्रकरण में पुलिस ने एक आरोपी पति को गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट में पेश किया गया। थानाधिकारी मोहम्मद शफीक खान ने बताया कि जयमल नगर, 80 फीट रोड भदवासिया निवासी कमल किशोर जोशी ने गत 26 फरवरी को रिपोर्ट दी थी। इसमें उसने बताया कि उसकी पुत्री 30 वर्षीय तर्पिता की शादी वर्ष 2022 अप्रैल में विद्यानगर, आरटीओ के पास बीजेएस निवासी

धर्मेंद्र के साथ हिंदू रीति-रिवाज के साथ की गई थी। शादी के समय 20 तोला सोना और एक किलो चांदी के आभूषण के साथ धरौली सामान दिया गया था, मगर ससुराल पक्ष के लोग जिनमें सास सुमन देवी, जेट महेंद्र, जेतानी नीतू, काकी सगुर लक्ष्मणराम एवं खुद पति धर्मेंद्र उसे दहेज कम लाने की बात को लेकर प्रताड़ित करते थे। चार साल शादी के बीच में दो तीन बार उसकी बेटी तर्पिता को कम दहेज के लिए मारपीट कर घर बंदर भी कर दिया गया। बाद में समाज के लोगों द्वारा समझावश कर उसे ससुराल भिजवाया गया। बेटा जन्म के बाद उसे दहेज में कार की मांग

रखी गई थी। कार नहीं दिलाए जाने पर उसे घर से निकाल दिया गया। बाद में उसकी बेटी तर्पिता को किराए के मकान में रखा गया जहां पर पति धर्मेंद्र उससे मारपीट करता और दहेज के प्रताड़ित करता था। इस साल 24 जनवरी को उसकी बेटी तर्पिता ने एक बेटी को जन्म दिया था।

मामले में जांच कर रहे एसीपी मंडोर अनिल शर्मा ने बताया कि इस मामले में जांच के बाद मृतका के पति आरटीओ के पीछे विद्या नगर वापटा, सी रोड निवासी धर्मेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। ससुराल पक्ष के अन्य लोगों के संबंध में जांच जारी है।

जुआ खेलते चार जनों को पकड़ा

टोंक, (निर्सं)। कोतवाली थाना क्षेत्र में जिला स्पेशल टीम ने सोमवार देर रात को ताश पत्ती पर जुआ खेलते चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। कार्यवाही में डीएसटी ने कोतवाली क्षेत्र के बछेरों के घेर में छापामारक 1 लाख 68 हजार रुपए नगद और तीन मोटरसाइकिल जब्त की है। डीएसटी प्रभारी ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि डीएसटी ने जुआं खेलते चार आरोपियों गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 1.68 लाख रुपए की जुआ राशि बरामद की है तथा उनके द्वारा प्रयुक्त की गई तीन मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है।

जो किसी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि घटना के समय अनिल साहू के साथ उसका भाई मुन्ना उर्फ देवसा भी मौजूद था। हमलावर कौन थे पट्टेचे और पूरे शहर में सख्त नाकाबंदी किस वजह से अंजाम दिया, इसका फिलहाल कोई खुलासा नहीं हो पाया है। हालांकि, पुलिस को आशंका है कि आपसी रंजिश के चलते ही यह घटनाक्रम हुआ हो सकता है। इसी आशंका के आधार पर पुलिस एक संदिग्ध स्काॅपियों को तलाश में जुटी है।

दिनदहाड़े हुई इस फायरिंग से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वारदात की सूचना मिलते ही कुड़ी थानाधिकारी तेजकरण अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे शहर में सख्त नाकाबंदी करवा दी है। हमलावरों को पकड़ने के लिए कुड़ी के अलावा विवेक विहार, लुणी, झंवर और बोरानाडा थाना इलाकों में भी सभी एसएचओ अपनी-अपनी टीमों के साथ अलर्ट मोड पर है। पुलिस पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाकर बंदमाशों की तलाश कर रही है।

कार्यालय चिकित्सा अधीक्षक, प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल (पी.बी.एम.)
सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर
दिनांक-26.02.2026
ई-बोली आमंत्रण सूचना (E-NIB No. 26/2025-26)
रिजिस्ट्रार (पी.बी.एम.)
सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर
दिनांक-26.02.2026
ई-बोली आमंत्रण सूचना (E-NIB No. 26/2025-26)
रिजिस्ट्रार (पी.बी.एम.)
सम्बद्ध चिकित्सालय वर्ग, बीकानेर
दिनांक-26.02.2026

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन. स्वा. अभि. विभाग वृत्त बांसवाडा
सिस्टेम्स मिल के पास, दाहोद वृत्त-327001
दूरभाष- 02962-294907, ई-मेल-secircle.ban.phed@rajasthan.gov.in
निविदा सूचना संख्या 27/2025-26
जन.स्वा.अभि. विभाग, वृत्त बांसवाडा के अधीन निम्नित पेयजल योजनाएं का कार्य हेतु आप्लाईन्ड बिड्स इच्छुक पात्र बिडर्स निविदा संख्या 27/2025-26 दिनांक 28.02.2026 सायं 06 बजे से 13.03.2026 सायं 06 बजे तक आमंत्रित की जाती है। बिड्स से सम्बंधित समस्त जानकारी www.sppr.raj.nic.in, https://eproc.rajasthan.gov.in पर एवं कार्यालय में देखी जा सकती है।
NIB CODE- PHE2526A7016
NIT No. 27/2025-26
UBN No. PHE2526WSRC15133
(जालेन्द्र कुमार शाणू)
अधीक्षण अभियन्ता
जन.स्वा.अभि. विभाग
वृत्त बांसवाडा
DIPRC/4852/2026

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता जन. स्वा. अभि. विभाग वृत्त बांसवाडा
सिस्टेम्स मिल के पास, दाहोद वृत्त-327001
दूरभाष- 02962-294907, ई-मेल-secircle.ban.phed@rajasthan.gov.in
निविदा सूचना संख्या 27/2025-26
जन.स्वा.अभि. विभाग, वृत्त बांसवाडा के अधीन निम्नित पेयजल योजनाएं का कार्य हेतु आप्लाईन्ड बिड्स इच्छुक पात्र बिडर्स निविदा संख्या 27/2025-26 दिनांक 28.02.2026 सायं 06 बजे से 13.03.2026 सायं 06 बजे तक आमंत्रित की जाती है। बिड्स से सम्बंधित समस्त जानकारी www.sppr.raj.nic.in, https://eproc.rajasthan.gov.in पर एवं कार्यालय में देखी जा सकती है।
NIB CODE- PHE2526A7016
NIT No. 27/2025-26
UBN No. PHE2526WSRC15133
(जालेन्द्र कुमार शाणू)
अधीक्षण अभियन्ता
जन.स्वा.अभि. विभाग
वृत्त बांसवाडा
DIPRC/4852/2026

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड प्रथम, जयपुर
दिनांक-27.02.2026
क्रमांक-6754-6773
निविदा सूचना संख्या- 176-187/2025-26
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निर्भरित कार्य हेतु नियमानुसार उम्मीद श्रेणी में इस विभाग में ई-प्रोक्चर प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है।
निविदा फार्म ऑनलाईन वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से दिनांक 12.03.2026 तक को सायं 6.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड किए जा सकते हैं। वेबसाइट पर तकनीकी विधि दिनांक 13.03.2026 को इस कार्यलय में प्रात 11.00 बजे खोली जाएगी। राजस्थान सरकार विधि (को एच टी 13.03.2026) के परिचय क्रमांक प. 615/डिआ/सावि/लेनि/2018 दिनांक 27.04.2020 के अनुसार इंड्रोप्योमेंट पोल्ट पर ई निविदाओं के प्रेषण के लिए एक ही प्लानन से बोली दस्तावेज मूल्य (Tender Fee) बिड रिजिस्ट्रारिटी (EMD) एवं RISL फीस को ऑनलाईन ई-प्रा प्रसिद्धि के माध्यम से जमा करवाना आवश्यक है।
निविदा शुल्क/धरोहर राशि/क्रिया शुल्क एवं निविदा से संबंधित अन्य समस्त विवरण वेबसाइट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर देखे जा सकते हैं।
NIT no. 176-UBN-PHE2526WSRC15092, NIT no. 177-UBN-PHE2526WSRC15094, NIT no. 177-UBN-PHE2526WSRC15095, NIT no. 178-UBN-PHE2526WSRC15096, NIT no. 179-UBN-PHE2526WSRC15099, NIT no. 180-UBN-PHE2526WSRC150100, NIT no. 181-UBN-PHE2526WSRC150101, NIT no. 182-UBN-PHE2526WSRC150102, NIT no. 183-UBN-PHE2526WSRC150103, NIT no. 184-UBN-PHE2526WSRC150106, NIT no. 185-UBN-PHE2526WSRC150107, NIT no. 186-UBN-PHE2526WSRC150108, NIT no. 187-UBN-PHE2526WSRC150109

अधिशाषी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला ग्रामीण खण्ड प्रथम, जयपुर टेलीफोन नं. 0141-2221802
DIPRC/4801/2026

राजस्थान सरकार कार्यालय आबकारी आयुक्त, उदयपुर
क्रमांक-F.32(B)(After Policy-2026-27)/EXA/2026-06481-9018219/748
दिनांक-10.03.2026
मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुज्ञापत्र हेतु ई-निविदा आमंत्रण सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार को आज्ञा क्रमांक प.4/1(विस्त/आब/2026 दिनांक 27 जनवरी 2026 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य-संचयन नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के प्रावधानानुसार नीतीकरण से शेष रहे मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) की ऑनलाईन ई-नौलामी के लिये विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajasthan.gov.in> पर निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है-
क्र.सं. नीलामी की दिनांक नीलामी का समय
1. 16.03.2026 प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
1. ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajasthan.gov.in> से अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई-ऑनलाइन पोर्टल में निर्धारित प्रक्रियानुसार एक बारीय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाईन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के पोर्टल <https://SSO.rajasthan.gov.in> पर 'Citizen' केतगरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।
2. नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एवं उसके पश्चात जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अन्तर्विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।
3. बोलीदाता को कम से कम रु. 10,000/- अथवा रु. 10,000 के ग्युआंक में बढाकर बोली लगानी होगी।
4. बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस/पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नहीं लगा सकेगा।
5. कलस्टर का जितनेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राइस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा।
6. ऑनलाईन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा कलस्टर का जयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि धर्याभरने नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक <https://iems.rajasthan.gov.in> वेबसाइट पर बोलीदाता के ऑनलाईन भूतलाप द्वारा दिए वेबसाइट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेगा। ऑनलाईन भूतलाप नहीं होने या अन्याय तकनीकी कारणों से निर्धारित राशिओं जमा नहीं होने के कारण बोली में भाग नहीं ले पाये के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. प्रत्येक कलस्टर के लिये ऑनलाईन नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राइस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आबकारी के साथ जमा करायी जानी है। बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Advance Earnest Money) भी जमा करानी होगी।
8. सफल बोलीदाता को धरोहर राशि अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स फीस ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों, जो विभागी वेबसाइट पर उपलब्ध है के अनुसार जमा करानी होगी।
9. निर्धारित समय में वांछित राशिओं यथा-धरोहर राशि अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जनराज की जायेगी।
10. वर्ष 2026-27 के पात्र अनुज्ञाधारियों को वर्ष क्रमश 2027-28 व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुज्ञा पत्र नीवीनीकरण का अवरसिद्ध दिया जायेगा।
11. बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसंचयन नीति वर्ष 2025-29 एवं नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा समस्त दिशा-निर्देश प्रक्रिया एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
12. मदिरा कलस्टर के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले सकेगें जो राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों आबकारी एवं मद्यसंचयन नीति वर्ष 2025-29 व 2026-27 दिनांक 27.01.2026 तथा भारतीय संविदा अधिनियम के तहत अनुबन्धन करने की योग्यता रखते हों। इस सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश <https://iems.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है। अन्य जानकारी हेतु संबंधित अतिरिक्त आयुक्त जिला आबकारी अधिकारी एवं जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
13. ई-नीलामी के संबंध में अन्य सभी प्रावधान आबकारी एवं मद्यसंचयन नीति वर्ष 2025-29 व नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत नये नियमों के अनुरूप रहेंगे।
अबकारी आयुक्त, राज.

राजस्थान सरकार कार्यालय आबकारी आयुक्त, उदयपुर
क्रमांक-F.32(B)(After Policy-2026-27)/EXA/2026-06481-9018219/748
दिनांक-10.03.2026
मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) के अनुज्ञापत्र हेतु ई-निविदा आमंत्रण सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार को आज्ञा क्रमांक प.4/1(विस्त/आब/2026 दिनांक 27 जनवरी 2026 के द्वारा जारी आबकारी एवं मद्य-संचयन नीति वर्ष 2025-29 में संशोधन के प्रावधानानुसार नीतीकरण से शेष रहे मदिरा दुकानों के कलस्टर (समूह) की ऑनलाईन ई-नौलामी के लिये विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajasthan.gov.in> पर निम्नानुसार ई-बोली आमंत्रित की जाती है-
क्र.सं. नीलामी की दिनांक नीलामी का समय
1. 16.03.2026 प्रातः 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक
1. ई-नीलामी में भाग लेने के इच्छुक बोलीदाता द्वारा विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajasthan.gov.in> से अपने SSO ID के माध्यम से लॉगइन करते हुए विभागीय ई-ऑनलाइन पोर्टल में निर्धारित प्रक्रियानुसार एक बारीय पंजीकरण करने उपरान्त ऑनलाईन नीलामी में भाग लिया जा सकेगा। इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के पोर्टल <https://SSO.rajasthan.gov.in> पर 'Citizen' केतगरी के अन्तर्गत SSO ID बनाना होगा।
2. नीलामी एक कार्य दिवस में न्यूनतम पांच घण्टे की होगी एवं उसके पश्चात जब तक बोली लगती रहे तब तक 10 मिनट के अन्तर्विस्तार (indefinite extension) तक जारी रहेगी।
3. बोलीदाता को कम से कम रु. 10,000/- अथवा रु. 10,000 के ग्युआंक में बढाकर बोली लगानी होगी।
4. बोलीदाता एक बार में रिजर्व प्राइस/पिछली बोली से 10 प्रतिशत से अधिक राशि बढाकर बोली नहीं लगा सकेगा।
5. कलस्टर का जितनेवार एवं उनके आवेदन शुल्क, न्यूनतम रिजर्व प्राइस एवं अमानत राशि का विवरण विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध रहेगा।
6. ऑनलाईन नीलामी में SSO ID के माध्यम से भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक द्वारा कलस्टर का जयन कर आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि धर्याभरने नीलामी की तिथि से एक दिवस पहले रात 11.59 तक <https://iems.rajasthan.gov.in> वेबसाइट पर बोलीदाता के ऑनलाईन भूतलाप द्वारा दिए वेबसाइट पर जमा हो जानी चाहिये। ऐसा करने से बोलीदाता विभिन्न प्रकार की तकनीकी समस्याओं से बच सकेगा। ऑनलाईन भूतलाप नहीं होने या अन्याय तकनीकी कारणों से निर्धारित राशिओं जमा नहीं होने के कारण बोली में भाग नहीं ले पाये के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. प्रत्येक कलस्टर के लिये ऑनलाईन नीलामी में भाग लेने हेतु निर्धारित न्यूनतम रिजर्व प्राइस की 2 प्रतिशत राशि अमानत राशि के रूप में आबकारी के साथ जमा करायी जानी है। बिड राशि के अनुसार अतिरिक्त अमानत राशि (Advance Earnest Money) भी जमा करानी होगी।
8. सफल बोलीदाता को धरोहर राशि अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेन्स फीस ई-नीलामी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश एवं शर्तों, जो विभागी वेबसाइट पर उपलब्ध है के अनुसार जमा करानी होगी।
9. निर्धारित समय में वांछित राशिओं यथा-धरोहर राशि अग्रिम वार्षिक गारन्टी राशि एवं वार्षिक लाईसेंस फीस जमा न कराने पर स्वीकृति निरस्त कर समस्त जमा राशि जनराज की जायेगी।
10. वर्ष 2026-27 के पात्र अनुज्ञाधारियों को वर्ष क्रमश 2027-28 व 2028-29 के लिये निर्धारित शर्तों पर अनुज्ञा पत्र नीवीनीकरण का अवरसिद्ध दिया जायेगा।
11. बोलीदाता को ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विभागीय वेबसाइट <https://iems.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध आबकारी एवं मद्यसंचयन नीति वर्ष 2025-29 एवं नीति में संशोधन दिनांक 27.01.2026 तथा समस्त दिशा-निर्देश प्रक्रिया एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया जाना चाहिये।
12. मदिरा कलस्टर के बन्दोबस्त हेतु वे ही व्यक्ति ई-नीलामी में भाग ले सकेगें जो राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 एवं इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों आबकारी एवं मद्यसंचयन नीति वर्ष 2025-29 व 2026-27 दिनांक 27.01.2026 तथा भारतीय संवि